

245

न्यायालय नोमान् राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर

निगरानी प्रकरण क्रमांक



अशोक कुमार दुवे पिता श्री संत कुमार दुवेउम्र 55 वर्ष पेशा सेतीव नौकरी निवासी ग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर कर्बुलियान, जिलारीवा म०प्र०

निगरानी शिवा क्रमांक/2017/6239 आवेदक
वनाम

- 1- संत कुमार दुवे तनय स्वर्गीय श्री केशगोपाल दुवेउम्र 76 वर्ष, पेशा पेंशनर निवासीग्राम कोष्टा, तहसील रायपुर कर्बुलियान, जिलारीवा
- 2- श्रीमती सुन्दरीदेवीपत्नी श्री मगवानदास उम्र 70 वर्ष, पेशा गृह कार्य
- 3- श्री प्रह्लाद ताम्रकार तनयश्री मगवानदास ताम्रकार उम्र 40 वर्ष, पेशा व्यापार दोनो निवासीगण ग्राम जानकीपार्क रीवा, तहसीलहुनूर, जिलारीवा म०प्र०

----- अनावेदकगण

उम्र 22-12-17

राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

22-12-17

निगरानी विरुद्ध निर्णय कआदेश तहसीलकार रायपुरकर्बुलियान दिनांक31-8-17 जो प्रकरणक्रमांक 7अ/27/02-03 मेमारित कियागा है, अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मुराजस्व संहितासन 1959ई०

मान्यवर,

निगरानीके आधार निम्नलिखित है:-

- 1- यह कि निर्णय कआदेश अधी स्थ न्यायालय अनियमित अवैध व झुटि पूर्ण होने केकारण निरस्तकियेजाने योग्यहै।

3

- 2- यहकि अधीनस्थ न्यायालयकेसमदा आवेदक ने माननीय राजस्व

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक तीन/निगरानी/रीवा/भू.रा./2017/6239

अशोक विरूद्ध संत कुमार

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
22-02-2019	<p>1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह तहसीलदार रायपुर कर्चुलियान जिला रीवा के प्रकरण क्रमांक 07/अ-27/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 31-08-2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है ।</p> <p>2. पक्षकार दिनांक 22-04-2019 को कलेक्टर रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों ।</p>	<p>(आ.के. जैन) सदस्य</p> <p>22/02/19</p>